न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प सागर (म0 प्र0)

निग0 प्रक0 क्र0 R 1388-I-17 सन 2017

81

लक्खू उर्फ लज्जूलाल तनयमन्नेलाल यादवआयु 55 वर्ष

नि ग्राम गेवलाई, तहसील बक्स्वाहा जि. छतरपुर म.प्र. ---- निगरानीकर्ता

बनाम

राजरानी पत्नी अछेलाल यादव आयु वर्ष

नि0 गेवलाई, तहसील बक्स्वाहा जि. छतरपुर म. प्र ---- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बक्स्वाहा के रा.प्र.क्र. 43/अ12/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 16-03-2017 से दुखित होकर यह निगरानी पेश की जा रही है।

महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय है:-

(1) यह कि भूमि जरा नंबर 246/1 रकबा 0.101 है0 आबादी भूमि ग्राम गेवलाई, तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर मे स्थित है जो निगरानी कर्ता की पैत्रिक स्वामित्व एवंअधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थी अपना मवेशी बांधने हेतु बेड़ा एवं भूसा रखने हेतु टपरा बनाकर के काबिज चला आ रहा है।

(2) यह कि भूमि जरा नंबर245, 246/2 रकबा 0.174 है0 स्थित ग्राम गेवलाई तहसील बक्स्वाहा जिलाछतरपुर मे है जो राजस्व रिकार्ड मे गैरनिगरानीकर्ता के नाम पर दर्ज है। गैरनिगरानीकर्ता के आवेदन पर भूमि जरानंबर245, 246/2 जुज रकबा 0.174 है0 का सीमांकन रा.निरी.मं. बक्स्वाहा द्वारा किया गया जिस पर निगरानीकर्ता के द्वारा आपत्ति पेश योग्य न्यायालय मे की गयी थी जिसे निरस्त कर यह आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिससे दुखित होकर यही निगरानी निम्न आधारो एवं तथ्यो पर पेश की जा रही है।

:- निगरानी के आधार एवं तथ्य -:

(3) यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय बक्स्वाहा के समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1388-एक/2017 जिला छतरपुर लक्खू विरूद्ध राजरानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बकस्वाहा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 3.1.19.	